MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Ram Vilas Paswan. ...*(Interruptions)*...

DR. V. MAITREYAN (Tamil Nadu): Sir, the association means same is the problem in all the States. ...*(Interruptions)*... Sir, I associate myself with this issue.

SHRI M.P. ACHUTHAN (Kerala): Sir, I also associate myself with this subject.

SHRI K.N. BALAGOPAL (Kerala): Sir, I also gave a notice for association with this issue. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, all those who associated themselves with it, their names should be added. ...*(Interruptions)*... Shri K.N. Balagopal, Shri M.P. Achuthan, Dr. V. Maitreyan... ...*(Interruptions)*... Yes, all those associated themselves with it.

SHRI K.N. BALAGOPAL: Sir, there is a criterion for calling the second Member also, I think, if two names are there on one issue. ...*(Interruptions)*... Sir, I also gave a notice on this issue.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: So, you can associate yourself with it; no problem.

SHRI K.N. BALAGOPAL: Sir, it is not a question of association. Sir, earlier, the Chairman assured the House that there would be a separate discussion on this issue. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You give a notice for that. ...*(Interruptions)*...

SHRI K.N. BALAGOPAL: So, there should be a separate discussion on this issue. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is why I said, 'for that, you have to give a separate notice'; that will be examined. ...*(Interruptions)*...

SHRI K.N. BALAGOPAL: ...Railways and Defence. Defence is the major purchaser.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Ram Vilas Paswan.

Demand for taking steps for use of Hindi or other Indian languages besides English in proceedings of High Courts and Supreme Court

श्री रामविलास पासवान (बिहार) : सर, संविधान की धारा 348, खण्ड 1, उपखण्ड 'क' के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी कार्यवाहियां हो रही होंगी, वे सारी की सारी कार्यवाहियां

अंग्रेजी में होंगी। आप जानते हैं कि इस देश में बहुत से लोगों को यह अधिकार है कि वे वकील को नहीं भी रखें। यह कोई हिन्दी का मामला नहीं है, किसी एक लैंग्वेज का मामला नहीं है, बल्कि किसी भी लैंग्वेज में कोई भी आदमी सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी बात या अपने पक्ष को रखना चाहे, तो वहां उसकी इजाजत नहीं है। दूसरी तरफ, हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारी पार्लियामेंट है, जहां 22 भाषाएं हैं और 22 भाषाओं में लोग अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ऐसा नहीं है। बहुत ही मेहनत के बाद, चूंकि धारा 348 के खण्ड 2 के मुताबिक राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति इसकी अनुमति दे सकते हैं, उसके मुताबिक राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में हिन्दी में कार्यवाही करने की अनुमति है। लेकिन 2002 में छत्तीसगढ़ की सरकार ने, 2010 में तमिलनाडु की सरकार ने और 2012 में गुजरात की सरकार ने भारत सरकार को लिख कर दिया कि उनकी भाषा में हाई कोर्ट में लोगों को अपना पक्ष रखने का अधिकार दिया जाए, लेकिन अभी तक राष्ट्रपति ने उस पर कोई अनुमति नहीं दी है। इसी तरह से और भी स्टेट्स हैं, जहां से इस तरह का प्रस्ताव आया होगा। संविधान की धारा 343 के मुताबिक राजकाज की भाषा हिन्दी होगी, जिसमें यह लिखा है कि यह 10 साल से लागू हो जाएगा। धारा 351 के मुताबिक यह कहा गया है कि इसको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार को इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए काफी लोग आन्दोलन कर रहे हैं। अभी एक संस्था काफी दिनों से सरकार के सामने धरने पर बैठी हुई है। उसमें श्याम रुद्र पाठक, डा. विनोद कुमार पांडे, श्रीमती गीता मिश्रा, कुंवर प्रमोद बिहारी, कुमुद कांत जी, आदि हैं। ये सारे के सारे लोग धरने पर बैठे हुए हैं। हम सरकार से यह मांग करना चाहते हैं कि इसके लिए सरकार को अविलंब संविधान में संशोधन करना चाहिए। वैसे भी यदि आप देखेंगे, तो आर्टिकल 39 में लिखा है कि राज्य सुनिश्चित करेगा कि किसी भी असमर्थता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित नहीं रहेगा। मैं समझता हूं कि न्याय प्राप्त करने का जो अवसर है, उससे लोगों को वंचित रखने की यह एक साजिश है। इसलिए मैं भारत सरकार से यह मांग करता हूं कि भारत सरकार संविधान की धारा 348 में संशोधन करे और विभिन्न राज्यों की जो भाषाएं हैं, उनमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्यवाही करना सुनिश्चित करे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रकाश जावडेकर (महाराष्ट्र) : महोदय, मैं स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूं।

श्री जय प्रकाश नारायण सिंह (झारखंड) : महोदय, मैं स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूं।

डा. ज्ञान प्रकाश पिलानिया (राजस्थान) : महोदय, मैं स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूं।

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, all Indian languges should be there. *...(Interruptions)...*

श्री देवेंदर गौड टी. (आन्ध्र प्रदेश) : महोदय, मैं स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूं।

श्री सुखेन्दु शेखर राय (पश्चिमी बंगाल) : महोदय, मैं स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We will now take up the Motion of Thanks on President's Address. ...*(Interruptions)*...

श्री प्रकाश जावडेकर : सर, जीरो ऑवर के मेंशंस में आपने मेरा नाम नहीं लिया।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is your problem? ...*(Interruptions)*...

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Sir, I will take only one minute. सर, किसानों के साथ जो धोखा हुआ और यह जो स्कैम है, इसका सबूत इतना है कि यह overwriting है, alteration है, tampering है। यह एक criminal activity है। इसलिए प्रधानमंत्री जी का यह कहना कि इसे पीएसी देखेगी ...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is over. ...*(Interruptions)*... That is over. ...*(Interruptions)*...

श्री प्रकाश जावडेकर : नहीं, वही मेरा मुद्दा था। एक मिनट। पीएसी अपनी रिपोर्ट देगी, लेकिन criminal activity के लिए सीबीआई की जांच होने की जरूरत है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your Deputy Leader has made it very clear. ....*(Interruptions)*...

श्री प्रकाश जावडेकर : सर, इस पर associate करते हुए मैं बता रहा हूं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You are unnecessarily repeating it.....*(Interruptions)*...

श्री प्रकाश जावडेकर : एक मिनट। जिन किसानों को लाभ नहीं मिला है, जिन किसानों को ऋण माफी नहीं मिली है, उनको 31 मार्च, 2013 के पहले ऋण मुक्ति देनी चाहिए, यह मेरी मांग है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, okay, that is fine. We will now take up the Motion of Thanks on the President's Address. Shrtimati Renuka Chowdhury is to move the Motion and speak.

———